

48

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)



R 625 - II 17

भईयालाल राठौर आत्मज स्व0 प्रेमसाह राठौर आयु 36 वर्ष निवासी ग्राम-
बरबसपुर, थाना व तहसील अनूपपुर जिला-अनूपपुर म0प्र0आवेदक

उदीप श्रीवास्तव का
आज दि. 9-2-17 को

बनाम

1. सेमवती पत्नी बृजलाल आयु 47 वर्ष
2. सविता आयु 27 वर्ष
3. नीलम आयु 24 वर्ष
4. विद्या आयु 22 वर्ष
5. खेलन आयु 20 वर्ष
6. किरण आयु 18 वर्ष
7. सभी आत्मज बृजलाल
8. ममता आयु 15 वर्ष
9. गोपाल आयु 12 वर्ष
10. क0-07 व 08 आत्मज बृजलाल अल्पवयस्क जरिये सरपरस्त बलि मॉ सेमवती
11. सीता आयु 32 वर्ष
12. गीता आयु 27 वर्ष
13. क0-09, 10 आत्मज लालमन
14. बेलपतिया बेवा सुकुरदीन आयु 55 वर्ष
15. देवलाल आयु 35 वर्ष
16. बेटू आयु 30 वर्ष
17. कौशिल्या आयु 32 वर्ष
18. सुखमतिया आयु 27 वर्ष
19. सभी आत्मज सुकुरदीन सभी जाति-बैगा
20. मुन्नी बाई पत्नी सुखदईया राठौर आयु 47 वर्ष
21. सभी निवासी ग्राम बरबसपुर, तहसील व जिला अनूपपुर म0प्र0

डिप्टी
उदीप श्रीवास्तव

3

.....अनावेदकगण
//2//

श्रीमान् नील राठौर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-625-दो/2017

जिला-अनूपपुर

भईयालाल राठौर विरुद्ध सोमवती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18/02/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-01-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को आयुक्त शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 18/02/2019</p>